राजस्व अपील संख्या – 138/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/401

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 138/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/401

अपीलार्थी:–

श्रीमती केलकी पुत्री श्री रूगाराम पत्नी श्री भाकरराम जाति पटेल निवासी नारनाडी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर हाल पता ग्राम झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

प्रत्यर्थीगण:–

1. स्व. रूगाराम पुत्र मूलाराम के वारिसान:–
   - 1/1 राजूराम पुत्र रूगाराम
   - 1/2 कलाराम पुत्र रूगाराम
   - 1/3 पोलाराम पुत्र रूगाराम
   - 1/4 पुखाराम पुत्र रूगाराम
   - 1/5 अमकी पुत्री रूगाराम
   - 1/6 मीरा पुत्री रूगाराम
   - 1/7 सारी पुत्री रूगाराम
   - 1/8 हीरकी पुत्री रूगाराम
2. स्व. गणेशराम पुत्र मूलाराम के वारिसान:–
   - 2/1 कमा पुत्री गणेशराम
   - 2/2 चेनाराम पुत्र गणेशराम
   - 2/3 भल्लाराम पुत्र गणेशराम
   - 2/4 भीयाराम पुत्र गणेशराम
   - 2/5 मीरा पुत्री गणेशराम
   - 2/6 रामाराम पुत्र गणेशराम
   - 2/7 अखाराम पुत्र गणेशराम
3. स्व. इन्द्राराम पुत्र स्व. गणेशराम के वारिसान:–
   - 3/1 अशोक पुत्र स्व. इन्द्राराम
   - 3/2 मंजु पुत्री स्व. इन्द्राराम
4. स्व. जैराम उर्फ जोराराम पुत्र मूलाराम के वारिसान:–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4/1 मंगलाराम पुत्र स्व. जैराम उर्फ जोराराम
सभी जातियान पटेल निवासीगण नारनाडी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

5. तहसीलदार, जोधपुर।
6. तहसीलदार, झंवर, जिला जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 425 ग्राम नारनाडी, जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 21.06.1989 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री अनोप सिंह सोलंकी (अपीलार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री दुर्ग सिंह भाटी (प्रत्यर्थी सं. 1/1, 1/5 से 1/7 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 28.10.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम नारनाडी के नामांतरकरण सं. 425 पर दिनांक 21.06.1989 को तहसीलदार, जोध्पुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 36 वर्ष के बाद इस न्यायालय में दिनांक 05.06.2025 को पेश की गई हैं
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीग्ण को नोटिसेज जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 1/1, 1/5, 1/6, 1/7 की ओर से श्री ओंकार सिंह व दुर्गसिंह भाटी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया है। शेष प्रत्यर्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे गये नोटिसेज की डिलीवरी होने का ट्रेक कंसाईनमेंट रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसी प्रकार दैनिक नवज्योति अखबार के जोधपुर अंक दिनांक 20.08.2025 को आदेश 5 नियम 20 के तहत भी नोटिस प्रकाशित किया गया है, परंतु उक्त प्रयासों के बावजूद भी प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित है। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।
3. तहसीलदार, झंवर (पूर्व में जोधपुर) से अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 425 ग्राम नारनाडी दिनांक 21.06.1989 प्राप्त हुआ।
4. अपील मीमों में अभिकथित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नारनाडी का खसरा सं. 531 रकबा 34–01 बीघा (5.5118 हैक्टेयर) ख.नं. 665 रकबा 34–10 बीघा (5.5847 हैक्टेयर) भूमि सोनिया, रूगा, गणेश पिता मूला 3/4, हनुमान पुत्र जैराम 1/4 कौम पटेल के नाम खातेदारी में दर्ज है। सहखातेदार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रूगाराम व गणेशराम के फौत होने से ग्राम नारनाडी का नामांतरकरण सं. 425 दिनांक 15.06.1989 को पटवारी नारनाडी द्वारा रूगाराम के चार पुत्रान राजूराम, कलाराम, पुरखाराम, पोलाराम पुत्र रूगाराम प्रत्यर्थी सं. 1/1 से 1/4 तक के नाम तथा गणेशराम के पुत्रान रामाराम, भींयाराम, भलाराम, इन्द्राराम, अखाराम, चेनाराम पिता गणेशराम व मगी बेवा गणेशराम के नाम दर्ज किया गया है तथा तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 21.06.1989 को स्वीकृत किया गया है। प्रत्यर्थी सं. 1/5 से 1/8 व अपीलांट केलकी रूगाराम की पुत्रियां है, परंतु पुत्रियों का नाम नामांतरकरण में दर्ज नहीं किया है।

इसी प्रकार प्रत्यर्थी सं. 2/1, 2/5 भी गणेशराम की पुत्रिया है परंतु इनका नाम भी नामांतरकरण में दर्ज नहीं किया है।

इन्द्राराम पुत्र गणेशराम फौत हो जाने से प्रत्यर्थी सं. 3/1 से 3/2 तक इन्द्राराम के वारिसान दर्ज किये है।

इसी प्रकार सहखातेदार जेराम का वारिस प्रत्यर्थी सं. 4/1 मंगलाराम दर्ज किया है।

सहखातेदार सोनिया पुत्र मूला अविवाहित फौत हो गया है। अपीलाधीन नामांतरकरण निर्णित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा बिना जांच किये ही प्रत्यर्थी 1/1 से 1/4 तक के नाम रूगाराम की पूरी आराजी दर्ज कर दी, जो शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन है। ऐसे नामांतरकरण से प्रत्यर्थी 1 से 4 तक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा आदेश मनमाना होने से व गैर कानूनी होने से अपास्त योग्य है। अपीलांट स्वर्गीय रूगाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। प्रत्यर्थी सं. 1/5 से 1/8 तक भी रूगाराम की जायंदा पुत्रिया होने से रूगाराम के विधिक वारिसान है। विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांट बतौर खातेदार काबिज काश्त है। गलत इंद्राजों के कारण प्रत्यर्थीगण अपीलांट के 1/9 हिस्से से बेदखल करने पर उतारू है। ऐसे गलत इंद्राजों के आधार पर किसी भी प्रकार का बेचान या भूमि का संपरिवर्तन गैर कानूनी है एवं अपीलांट के हिस्से तक शून्य है।

अपीलांट के पिता रूगाराम के भाई सोनिया का अविवाहित फौत होने के कारण सोनिया की भूमि में से रूगाराम को जो हिस्सा प्राप्त हुआ है, उसमें रूगाराम के पुत्र पुत्रियों व गणेशराम के वारिसान का नामांतरकरण सं. 3953 दिनांक 05.11.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2024 से हिस्सा दर्ज हुआ है जबकि स्वयं के पिता के हिस्से में अपीलांट व प्रत्यर्थी सं. 1/5 से 1/8 को वंचित रखा गया है। अपीलाधीन म्यूटेशन राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमों की अवहेलना करके दर्ज किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः नामांतरकरण सं. 425 ग्राम नारनाडी अपास्त कर, रूगाराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज किया जावे।

5. अपील मीमों के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने हेतु म्याद कानून की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपीलांट ने पेश किया गया है।
6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी गई है।
7. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री अनोप सिंह सोलंकी ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 665 व 531 का मूल खातेदार मूलाराम (सेटलमेंट से) था, जिनके फौत होने पर रूगाराम, सोनिया, गणेश के नाम दर्ज की गई। रूगाराम के फौत होने पर नामांतरकरण सं. 425 दिनांक 21.06.1989 को सिर्फ रूगाराम के 4 पुत्रों के नाम ही दर्ज किया गया है तथा अपीलांट व प्रत्यर्थी सं. 1/5 से 1/8, जो रूगाराम की पुत्रियां है, उनका नाम दर्ज नहीं किया है, जो गैर कानूनी है।

   रूगाराम के भाई सानिया के लाऔलाद फौत होने पर नामांतरकरण सं. 3953 दिनांक 05.11.2024 को रूगाराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। उस समय ध्यान में आया कि रूगाराम के फौत होने पर भरे गये नामांतरकरण सं. 425 सिर्फ 4 पुत्रों के नाम ही दर्ज किया गया है तथा पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं किये गये है।

   प्रत्यर्थीगण ने यह इंकार नहीं किया है कि अपीलांट केलकी व प्रत्यर्थी 1/5 से 1/8 तक रूगाराम की पुत्री नहीं है। अतः यह निर्विवाद तथ्य है कि उक्त रूगाराम की पुत्रियां है। अतः आक्षेपित नामांतरकरण खारिज किया जाकर रूगाराम के सभी कानूनी वारिसान की जांच की जाकर उनके नाम नामांतरकरण दर्ज किया जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार, झंवर को प्रतिप्रेषित किया जावे।
8. प्रत्यर्थीगण 1/1, 1/5, 1/6, 1/7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता दुर्गसिंह भाटी ने बहस करते हुए कथन किया कि रूगाराम के 4 पुत्र व 5 पुत्रियां है, परंतु नामांतरकरण सं. 425 सिर्फ 4 पुत्रों के नाम ही दर्ज किया है, जबकि पुत्रियों का भी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पिता की पुश्तैनी भूमि में कानूनन हक व हिस्सा बनता है क्योंकि वे रूगाराम की कानूनी वारिसान है। उक्त विवाद सिर्फ रूगाराम के वारिसान के ही मध्य है। अतः शेष प्रत्यर्थीगण सिर्फ प्रोफार्मा पक्षकार है। उन्हे दो बार रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे गए थे, जो कि डिलीवर हो चुके है। इसके अतिरिक्त अखबार के माध्यम से भी प्रकरण की सूचना प्रकाशित की गई, जो पर्याप्त तामिल है। अपील स्वीकार की जावे।

9. (अ)अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के अंतर्गत मय शपथ पत्र पेश किया है तथा कथन किया है कि नामांतरकरण सं. 425 पर दिनांक 21.06.1989 को एकतरफा आदेश प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है जिसकी जानकारी नामांतरकरण सं. 3953 दिनांक 05.11.2024 के पारित होने के बाद पटवारी के पास किसान फार्मर आईडी बनाने हेतु जाने पर हुई। उसके बाद जमाबंदी व नामांतरकरण की प्रतियां दिनांक 02.06.2025 को प्राप्त कर पैसों की व्यवस्था कर अपील पेश की है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किया गया। आक्षेपित निर्णय दिनांक 21.06.1989 एकतरफा पारित किया गया है। अतः न्यायहित में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना स्वीकार की जाती है तथा अपील का निर्धारण मेरिट पर किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

(ब)उक्त के अतिरिक्त अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा रूगाराम की जायंदा पुत्री होन से उसका पुश्तैनी भूमि में कानूनी रूप से अधिकार है एवं एकतरफा आदेश पारित किया गया है। उक्तानुसार वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत अपील ग्रहण की जाती है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं तहसीलदार, झंवर से प्राप्त मूल नामांतरकरण सं. 425 दिनांक 21.06.1989 का अवलोकन कर अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। ई धरती पोर्टल पर अपना खाता से विवादग्रस्त आराजी के नवीनतम अभिलेख की जानकारी प्राप्त कर अवलोकन किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

A. अपीलाधीन नामांतरकरण में अंकित ग्राम नारनाडी का खसरा सं. 531 का मूल रकबा 34–01 बीघा (5.5118 हैक्टेयर), नामांतरकरण सं. 425 के कॉलम सं. 4 में अंकित है। ग्राम नारनाडी की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2077–2080 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थाई के खाता सं. 250 में ख.नं. 531 की भूमि निम्नानुसार दर्ज है:–

1. कमला देवी पत्नी दलपतराम हिस्सा 1/8 जाति पटेल साकिन शिकारपुरा खातेदार
2. खम्मादेवी पत्नी सुरेन्द्र हिस्सा 1/8 जाति पटेल साकिन शिकारपुरा, खातेदार।
3. टीपू देवी पत्नी मानाराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल साकिन शिकारपुरा, खातेदार–राहिन 1/4 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा डोली
4. दयाराम चैला किशनाराम महाराज साकिन शिकारपुरा 1/4 संस्था के लिए।
5. मंगलाराम पुत्र जयराम उर्फ जोराराम हिस्सा 1/8 जाति पटेल साकिन शिकारपुरा, खातेदार।
6. सीतादेवी पत्नी भागीरथ हिस्सा 1/8 जाति पटेल साकिन शिकारपुरा, खातेदार।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मृतक रूगांराम व गणेशराम के किसी भी वारिसान का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं है तथा उन्होने अपना समस्त हिस्सा कमलादेवी, खम्मादेवी, टीपूदेवी, दयाराम व सीतादेवी को हस्तांतरित कर दिया है परंतु अपीलांट ने उन्हे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है।

B. इसी प्रकार ख.नं. 665 रकबा 34–10 बीघा (5.5847 है.) ग्राम नारनाडी की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2077–2080 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) के खाता सं. 822 में इस प्रकार दर्ज है–

1. शांति देवी पत्नी पोलाराम
2. कमला पत्नी प्रेमकुमार पटेल
3. भलाराम पुत्र गणेशराम
4. पोलाराम पुत्र नरसिंगराम
5. अशोक पुत्र इन्द्राराम
6. मंजू पुत्री इन्द्राराम
7. अमकी पुत्री रूगाराम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

8. केलकी पुत्री रूगाराम– हिस्सा 1/108
9. चेनाराम पुत्र गुणेशाराम
10. पुकाराम पुत्र रूगाराम
11. पोलाराम पुत्री रूगाराम
12. मंगलाराम पुत्र जैराम उर्फ जोराराम
13. मीरा पुत्री रूगाराम
14. सारी पुत्री रूगाराम
15. हीरकी पुत्री रूगाराम
16. अखाराम पुत्री गणेशाराम
17. कमी पुत्री गणेशाराम
18. कलाराम पुत्र रूगाराम
19. भलाराम पुत्र गुणेशाराम
20. भींयाराम पुत्र गुणेशाराम
21. मीरा देवी पुत्री गुणेशाराम
22. रामाराम पुत्र गुणेशाराम
23. नेमाराम पटेल पुत्र हरजीराम

उक्त खाते पर नामांतरकरण सं. 3462 दिनांक 06.02.2023 बेचान, 3780 दिनांक 06.05.2024 दान, 3856 दिनांक 25.08.2024 विरासत, 3923 दिनांक 18.10.2024 बेचान, 3940 दिनांक 22.10.2024, 3951 दिनांक 04.11.2024, 3953 दिनांक 06.11.2024 विरासत, 4145 दिनांक 21.04.2025 बेचान के नोट लगे हुए है।

उक्त सभी हस्तांतरण यह अपील पेश करने की तारीख दिनांक 05.06.2025 से पूर्व के है तथा इस खसरा सं. 665 में (जो अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 425 का भाग है) अपीलांट केलकी का 1/108 के साथ रूगाराम के अन्य वारिसान अमकी, पुकाराम, पोलाराम, मीरा, सारी, हीरकी का भी 108 हिस्सा दर्ज है परंतु राजूराम व कलाराम का नाम नहीं है। उक्त खाते में दर्ज शांतिदेवी पत्नी पोलाराम, कमला पत्नी प्रेमकुमार पटेल, पोलाराम पुत्र नरसिंगाराम व नेमाराम पटेल पुत्र हरजीराम को वर्तमान अपील में आवश्यक पक्षकार के रूप में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संयोजित नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजूराम व कलाराम पुत्र रूगाराम ने रिकॉर्ड में दर्ज अपना हिस्सा हस्तांतरित कर दिया है।

C. मूल खातेदार सोनिया, रूगाराम, गणेशाराम व हनुमान पुत्र जेराम के मध्य बंटवाडा नहीं हुआ है तथा ख.नं. 531 व 665 का एक ही नामांतरकरण सं. 425 खोला गया है। ख.नं. 665 की भूमि में अपीलांट केलकी सहित उसकी बहिने अमली, मीरा, सारी, हीरकी के नाम दर्ज है परंतु ख.नं. 531 में रूगाराम व गणेशराम के किसी भी वारिसान के नाम दर्ज नहीं है तथा ख.नं. 531 व 665 के दो अलग–अलग खाते संधारित किये गये है।

अपीलांट का कथन है कि सोनिया लाऔलाद फौत होने पर, सोनिया के हिस्से की जो रूगाराम के बंट में आई है, उनमें अपीलांट का नाम दर्ज है, परंतु रूगाराम स्वयं के हिस्से वाली जमीन में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि सोनिया का हिस्सा तो दोनो ख.नं. 531 व 665 में था तथा ख.नं. 665 अकेले में अपीलांट का नाम दर्ज हो गया तथा ख.नं. 531 में दर्ज होने से रह गया, अपने आप में विरोधाभासी व असंगत कथन है।

11. उपर्युक्त अभिलेखीय स्थिति अनुसार ख.नं. 531 व 665 की भूमि में से दिनांक 21.06.1989 के पश्चात् पिछले 36 वर्षो की अवधि में कई हस्तांतरण जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामों/दानपत्र इत्यादि के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में अपीलांट के भाईयों ने अर्थात् रूगाराम के पुत्रों ने कर दिये है तथा ख.नं. 531 में तो रूगाराम का पूरा हिस्सा ही हस्तांतरित हो चुका है तथा नए खातेदार अभिलेख पर दर्ज है, जो निश्चित रूप से प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति होने से आवश्यक पक्षकार है, परंतु अपीलांट ने उन्हे आवश्यक पक्षकार के रूप में उन्हे संयोजित ही नहीं किया है, जो पक्षकारों का कुसंयोजन है तथा रिकॉर्ड में अभिलिखित सहखातेदारों को सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर किसी प्रकार निर्णय/आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं है एवं अभिलिखित सह खातेदारों के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों का घोर उल्लंघन है। असंयोजित सहखातेदारों के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने से पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से वाद विवाद होगा तथा इससे वाद बाहुल्यता को बढावा मिलेगा तथा पक्षकारों के धन बर्बादी के साथ साथ

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

न्यायालय का अमूल्य समय भी बर्बाद होगा, जबकि न्यायालय पहले से ही लंबित प्रकरणों का भारी बोझ ढो रहे है।

उक्त तथ्यात्मक व विविध विवेचनानुसार यह अपील वर्तमान रिकॉर्ड स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संधारण योग्य नहीं है। ऐसा ही मत 2009 RRD 659, 1992 RRD 124, 1996 RRD 786, 1992 RRD 608, 1990 RRD 389, 1992 RRD 582, 2006 RBJ (13) 606, 2022 Live Law SC 802 में माननीय उच्चतर न्यायालयों ने प्रतिपादित किया है, जिससे यह न्यायालय की पूर्णतः सहमति है।

12. अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 425 दिनांक 21.06.1989 में अभिलिखित सहखातेदारान द्वारा विभिन्न रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेजों से भिन्न–भिन्न नए व्यक्तियों को हस्तांतरित करने के कारण, तृतीय पक्षों/क्रेताओं के पक्ष में ख.नं. 531 व 665 की भूमि में हित सृजित हो गये है तथा जमाबंदी में उनके हिस्से दर्ज किये हुए है, जिससे अपीलांट का अविभाजित हित भी प्रभावित/हस्तांतरित हो चुका है। ऐसी स्थिति में ऐसे रजिस्टर्ड बेचान/दानपत्र दस्तावेजों को शून्य या अप्रभावी या शून्यकरणीय घोषित करने का अधिकार धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दायर अपील में इस न्यायालय को नहीं है, क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र एक समरी प्रकार की फिस्कल प्रोसिडिंग ही है, जिसके माध्यम के पक्षकारों के हित, अधिकारों, स्वत्व/अधिपत्य इत्यादि का अभिनिर्धारण नहीं किया जा सकता एवं उक्त प्रकार के अधिकारों का निर्धारण केवल मात्र नियमित वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चयों में माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा समय समय पर सिद्धांत प्रतिपादित कर नामांतरकरणों की कार्यवाही का दायरा तय किया है:–

a) Faqruddin v/s Tejuddin, (2008) 88 SC 12 D/d 16-05-1988
b) Prem Nath Khanna & Ors v/s Narinder Nath Kapoor (dead) through LRs, (2016)2 SCC 235
c) Bhima Bal Mahadev Kambaker (dead) through LRs v/s Arthur Import and Export Co. & Ors. (2019)3 SCC 191 (D/d 31-01-2019)
d) Balwant Singh v/s Daulat Singh, (1997)7 SCC 137
e) Narasamma v/s State of Karnataka, (2009)5 SCC 591
f) Suraj Bhan & Ors. v/s Financial Commissioner (2007)6 SCC 186
g) Jattu Ram v/s Hakam Singh

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

h) Narayan Prasad Agrawal & State of MP (2007)8 Scale 250

i) Swarni v/s Smt. Inder Kaur, (1996)6 SCC 223

j) SB Civil Revision Petition No. 152/2024: 2025(2) RRT 992 (D/d 10-03-2025

k) Pyare Lal (2019)3 SCC 692: 2019(1) RRT 291

l) Rampal v/s SDO, RRT 2016-17 (Supp) 299

13. उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार एवं विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

14. परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा ग्राम नारनाडी तहसील झंवर (पूर्व जोधपुर) के नामांतरकरण सं. 425 पर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.1989 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। अपीलांट नियमित वाद के जरिये सक्षम न्यायालय से अपने हित, स्वत्व, अधिकारों इत्यादि का विधि प्रावधानों अनुसार निर्धारण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

15. उपरोक्तानुसार मूल अपील का निस्तारण हो जाने के परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2025 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को रद्द किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

16. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, झंवर को पुनः लौटाया जावे। लंबित अन्य प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

17. पत्रावली बाद तामिल एवं तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर